<u>राजस्थान सरकार</u>

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ1(ए)49/पार्ट–6/संस्था/बीमा/2022/ दिनांक : 01-07-2022

आदेश 208

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग के पत्रांकःप.1(2)प्र.सु./अनु–3/2020 दिनांक 13.06.2022 के द्वारा राजस्थान क्रीडा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम 2017 (संशोधित नियम, 2020) के नियम 3 (8) में गठित समिति की अभिशंषाओं के आधार पर इस विभाग को आवंटित निम्नांकित 02 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध **कनिष्ठ सहायक** के पद पर अस्थाई आधार पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमांकः प0 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14,600/– प्रतिमाह एवं तत्पश्चात पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–5 पर निम्नलिखित शर्तों पर निम्न सारणी में उनके नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापन स्थान पर इस विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एतदद्वारा नियुक्त किया जाता हैः–

क्र. सं.	नाम श्री/श्रीमती/सुश्री	पिता का नाम श्री	जन्म दिनांक	शिक्षा	खेल	पदक	पदस्थापन स्थान
1.	VARSHA SONA	GOPAL SONA	04.11.2001	12th	ARCHERY	BRONZE	RGHS, वित्त भवन, जयपुर
2.	ARUN KUMAR	VINOD KUMAR	03.02.1991	B.A., B.Ed., M.A.	PARA TAEKWONDO	GOLD	झुन्झुनू

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

1. राज्य में कोरोना वायरस (covid-19) को महामारी घोषित किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश, हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि उन्हें नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर ऊपर वर्णित तालिका में अपने नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा। अपरिहार्य एवं अन्य परिस्थिति के कारण 15 दिवस में उक्त अभ्यर्थी पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में सूचित कर देवें । निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगें परंतु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (through proper channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

3. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 6(6)एफडी/रूल्स/ 2005 दिनांक 13.03.2006, एफ 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, एफ 13(1)एफडी/ रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा(संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fix remuneration) के हकदार होगें इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें। यह पारिश्रमिक माननीय राजस्थान, उच्च न्यायालय, की खण्डपीठ, जयपुर में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायलय में की गई एस.एल.पी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्ययीन होगा।

4. राज्य सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होगें।

5. उक्त नियुक्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606–726 दिनांक 20. 10.2015 एवं प0 11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999–69032 जयपुर दिनांक 11. 11.2016 में वर्णित दिशा–निर्देशों/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।

6. इस विभाग को पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत रिपोर्ट (Adverse report) पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50/– रूपये सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये दस्तावेज एवं प्रमाण–पत्र सत्य है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना कूटरचित एवं अप्रमाणिक पाये जाने पर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा इनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी एवं प्रार्थी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

8. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

9. परिवीक्षाकाल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

10. चयनित अभ्यर्थी का आचरण परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में असंतोषजनक पाये जाने पर इनको बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से विमुक्त किया जा सकेगा।

11. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या – 5 में नियमानुसार किया जाकर वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।

12. चयनित परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।

13. अभ्यर्थी की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।

14. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

15. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगें।

16. इनकी वरिष्ठता राजस्थान क्रीडा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम 2017 (संशोधित नियम, 2020) के नियम 3 (10) के अनुसार निर्धारित होगी।

17. इनका चयन वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध किया गया है अतः विभागीय स्तर पर इनकी वरिष्ठता निर्धारण का क्रम नियमानुसार (पदौन्नति/सीधी भर्ती/ खिलाड़ी कोटा) होगा।

18. राजस्थान क्रीडा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम 2017 (संशोधित नियम, 2020) के नियम 3 (6) के अनुसार चयनित खिलाड़ी को 5 वर्ष की कालावधि में सुसंगत सेवा नियमों के अधीन पद के लिये अपेक्षित अर्हताऐं अर्जित करनी होगी जिसमें विफल रहने पर नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।

19. अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण करते समय संलग्न सूची के अनुसार, वांछित शपथ–पत्र एवं दस्तावेज यथा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, परिवार का विवरण, दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र, दहेज नहीं लेने–देने का शपथ पत्र, दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र /घोषणा पत्र एवं अन्य शपथ पत्रों का **मूल दस्तावेजों (Original Documents) से मिलान एवं सत्यापन करवाने के पश्चात् ही उनका कार्यग्रहण (Duty Joining) स्वीकार किया जावेगा।** अभ्यर्थी को इनकी सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

(कल्पना अग्रवाल)
निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ1(ए)49/पार्ट–6/संस्था/बीमा/2022/ 4774–89 दिनांक : 01-07-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्रांक: प.1(1)प्र.सु./अनु–3/2020 दिनांक 13.06.2022 के क्रम में।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, जयपुर संभाग–द्वितीय, जयपुर।
6. परियोजना निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, RGHS, वित्त भवन, जयपुर/ उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, झुन्झुनू को निर्देशित किया जाता है कि दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 19 की पालना सुनिश्चित करते हुए नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सम्पादित की जावे। **अभ्यर्थी से उक्त प्रमाण पत्र मूल रूप में जांच करते हुए दस्तावाजों की सत्य प्रतिलिपियां (Certified/Self Attested Documents) प्राप्त करते हुए नियुक्ति पर कार्यग्रहण संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करें।** (संलग्नक सूची)
7. संयुक्त निदेशक (संस्थापन/एपीएआर सैल) राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग ,मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. सम्बन्धित अभ्यर्थी।
10. वरिष्ठता निर्धारक लिपिक/केडर स्ट्रेंथ लिपिक।
11. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

01/07/2022
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग,
राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट–अ

1.	सैकण्डरी	
2.	सीनियर सैकण्डरी	
3.	स्नातक	
4.	अधिस्नातक	
5.	अन्य योग्यता	
6.	कम्प्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र	
7.	जाति प्रमाण पत्र	
8.	अन्तिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र	
9.	दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र (6 माह से पूर्व की तिथि का न हो) शिक्षण स्थान के अधिकारियों के मान्य नहीं	
10.	धूमपान न करने संबंधी शपथ पत्र (साधारण कागज पर)	
11.	विवाह शपथ पत्र (प्रमाण पत्र हो ता सत्यापित प्रति) – परिशिष्ट–ब	
12.	01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान होने / न होने का शपथ पत्र परिशिष्ट–स	
13.	दहेज न लेने का शपथ पत्र – परिशिष्ट–द	
14.	पत्र व्यवहार का पता	
15.	मूल निवास प्रमाण पत्र	
16.	पते का प्रमाण पत्र, यथा–बिजली, पानी, टेलीफोन के बिल, आधार कार्ड, वाहन लाईसेंस	
17.	अनापत्ति प्रमाण पत्र (राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों के लिए)	
18.	स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र अपने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रमाणित	
19.	अन्य वांछित दस्तावेज (खेल एवं योग्यता से सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र मय स्वप्रमाणित प्रतिलिपि)	

20. चरित्र सत्यापन रिपोर्ट सक्षम पुलिस अधिकारी द्वारा जारी

परिशिष्ट–(6)

रू.10/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें

(विवाह शपथ–पत्र)

प्रपत्र

मैं.................. पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती .... निवासी................ शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री .... निवासी .... के साथ सम्पन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक .... सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री .... निवासी .... के साथ दिनांक .... को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं .... अविवाहित हूँ।

या

मैं .... विधुर/विधवा हूँ (पत्नी/पति श्री/श्रीमती ....)

या

मैं तलाकशुदा हूँ (प्रमाण पत्र संलग्न है)

या

मैं परित्यक्ता हूँ एवं मेरा विवाह श्री .... के साथ दिनांक .... को सम्पन्न हुआ था।

हस्ताक्षर
शपथकर्ता

परिशिष्ट–'स'

रू.10/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें

(संतान शपथ–पत्र)

<u>घोषणा पत्र</u>

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (1)कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.06.2001 के अनुसरण में निम्नलिखित प्रपत्र में कार्यभार ग्रहण करते समय घोषणा जो कि राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित है, प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

मैं ....पुत्र/पुत्री श्री .... कनिष्ठ सहायक के पद पर राज्य बीमा विभाग में अभिस्तावित हुआ/हुई हूँ।

1. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों की संख्या .... थी।

<u>क्र.स.</u> <u>नाम</u> <u>जन्म तिथि</u>

2. दिनांक 01 जून, 2006 को एवं इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

दिनांक 1 जून, 2002 को एवं इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है एवं वर्तमान में मेरे बच्चों की कुल संख्या .... है।

<u>क्र.स.</u> <u>नाम</u> <u>जन्म तिथि</u>

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नामः ....

पदः लिपिक ग्रेड-II

रू.10/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें

परिशिष्ट–'द'

विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र

मैं.......................................पुत्र/पुत्री श्री.. निवासी....................... .... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि मुझे राजकीय शिक्षा में कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त हेतु अभिस्तावित किया गया है।

मेरा विवाह दिनांक .... को हुआ। विवाह के समय मेरे घर वालों ने न तो दहेज लिया है/ न ही दहेज दिया है। भविष्य में दहेज लिए जाने के सम्बन्ध में मेरी पत्नी एवं ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तिकर्ता यथा निदेशक, राजकीय शिक्षा एवं प्रा. शिक्षा, राजस्थान, अजमेर को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए मैं, प्रार्थी जिम्मेदार रहूंगा।

(नाम–.......................................)
घोषणा–कर्ता

स्थान:–.......................................

दिनांक :–.............................

साक्षी

वर पक्ष की ओर से

1. हस्ताक्षर.................................. 1. हस्ताक्षर ....

नाम.......................................नाम..............................

पता..................................पता..................................

वधु पक्ष की ओर से

2. हस्ताक्षर.. 2. हस्ताक्षर..

नाम.. नाम..

पता.. पता...

परिशिष्ट–'द'

रू.10/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें

अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र

मैं...पुत्र/पुत्री श्री... निवासी........................
....

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि मुझे राजकीय विभाग में [illegible] के पद पर नियुक्त हेतु अभिस्तावित किया गया है।

मेरा विवाह अभी तक नही हुआ। और भविष्य मे जब भी होगा तब मैं या मेरे घर वाले ना तो दहेज लेंगे/ना ही देंगे। भविष्य में दहेज लिए जाने के सम्बन्ध में मेरी पत्नी एवं ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तिकर्ता यथा निदेशक, [illegible] राजस्थान, [illegible] को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए मैं, प्रार्थी जिम्मेदार रहूंगा।

(नाम–...................................)
घोषणा–कर्ता

स्थानः–..

दिनांक :–..............................

साक्षी

1. हस्ताक्षर.................................... 1. हस्ताक्षर ....

नाम.. नाम..

पता.. पता..